संख्या-7 /2022/430/छिहत्तर-1-2022-25सम/2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 04 मार्च, 2022

विषयः जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को चरणबदध रूप से पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 16/2021/948/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 19.03.2021, एवं सपठित शासनादेश संख्या-36/2021/1599/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 08.07.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्व रूप से पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करते हुए हर घर तक Functional Household Tap connection (FHTC) दिये जाने के विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-03/2022/230/छिहत्तर-1-2022-25 सम/2019 दिनांक 08.02.2022 द्वारा शासनादेश संख्या 16/2021/948/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 19.03.2021 के प्रस्तर-15 (4) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

2- अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश संख्या-03/2022/230/छिहत्तर-1-2022-25 सम/2019 दिनांक 08.02.2022 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए शासनादेश संख्या 16/2021/948/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 19.03.2021 एवं सपठित शासनादेश संख्या-36/2021/1599/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 08.07.2021 में निम्नवत संशोधन किये जाते हैंः-

शासनादेश दिनांक 19 मार्च 2021 के प्रस्तर 15(4) एवं 15(15) की व्यवस्था	एतदद्वारा संशोधित एवं प्रस्तर-15(4) एवं 15(15) के स्थान पर प्रतिस्थापित व्यवस्था
15(4) सूचीबद्व कार्यदायी संस्थाओं (Vendors) से समयबद्व रूप से डी0पी0आर0 तैयार कराते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण किया जाना तथा शासनादेश संख्या-2064/ छिहत्तर-1-2020-25सम/2019 दिनांक 29.10.2020 के प्रस्तर-5 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना। रू0 2.00 करोड़ लागत तक की परियोजनाओं की डी0पी0आर0, डिजाइन/ड्राइंग की तकनीकी स्वीकृति	सूचीबद्व कार्यदायी संस्थाओं (Vendors) से समयबद्व रूप से डी0पी0आर0 तैयार कराते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण किया जाना तथा शासनादेश संख्या-2064/ छिहत्तर-1-2020-25सम/2019 दिनांक 29.10.2020 के प्रस्तर-5 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना। रू0 5.00 करोड़ लागत तक की परियोजनाओं की डी0पी0आर0, डिजाइन/ड्राइंग

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रदान की जायेगी। रू0 2.00 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं का डी0पी0आर0, डिजाइन/ड्राइंग जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा अपनी संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जाएगा, जिनका परीक्षण राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत गठित तकनीकी प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाएगा। तकनीकी प्रकोष्ठ के टिप्पणियों के अनुसार संशोधनोंपरान्त डी0पी0आर0, अधीक्षण अभियन्ता, एस0ड0ब्ल्यू0 एस0एम0 स्तर से संस्तुति एवं मुख्य अभियन्ता/ यूनिट कोर्डिनेटर तकनीकी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। रू 5.00 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं के डी.पी.आर. की वेटिंग आई.आई.टी./एन.आई. टी./अन्य राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय विश्वविद्यालय से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। ड्राइंग/डिजाइन की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, एस0ड0ब्ल्यू0 एस0एम0 द्वारा प्रदान की जायेगी तथा जनपद स्तर पर परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के Quality Assurance Plan (QAP) का तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा परीक्षण किये जाने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता, एस0ड0ब्ल्यू0एस0एम0 द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	की तकनीकी स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रदान की जायेगी। रू0 5.00 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की डी0पी0आर0, डिजाइन/ड्राइंग की वेटिंग आईआईटी/ एनआईटी/ अन्य राजकीय महाविद्यालयों /राजकीय विश्वविद्यालय से कराने के उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा अपनी संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जाएगा, जिनका परीक्षण राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत गठित तकनीकी प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाएगा। तकनीकी प्रकोष्ठ के टिप्पणियों के अनुसार संशोधनोंपरान्त डी0पी0आर0, अधीक्षण अभियन्ता, एस0ड0ब्ल्यू0एस0एम0 स्तर से संस्तुति एवं मुख्य अभियन्ता/यूनिट कोर्डिनेटर तकनीकी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। जनपद स्तर पर परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के Quality Assurance Plan (QAP) का सम्यक परीक्षण किये जाने के उपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (एस0ड0ब्ल्यू0एस0एम0) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। यदि किसी निर्माता कम्पनी के किसी मेक का किसी जनपद के लिए विशिष्टियों हेतु गुणवत्ता आश्वासन नियोजन (Quality Assurance Plan) का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो, तो उक्त निर्माता कम्पनी की संबंधित मेक का गुणवत्ता आश्वासन नियोजन (Quality Assurance Plan) सम्पूर्ण प्रदेश के लिए इस प्रतिबंध के साथ मान्य होगा कि संबंधित निर्माता कम्पनी के संबंधित मेक का Buero of Indian Standrd (बी0आई0एस0) लाइसेंस कालातीत न हुआ हो/ निर्माता कम्पनी को किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड/डीबार न किया गया हो तथा सामग्री की विशिष्टियों में कोई परिवर्तन न हों। जिन सामग्री के मेक पूर्व से आर0एफ0पी0 में अंकित हैं, उनके लिए अलग से गुणवत्ता

	आश्वासन नियोजन (Quality Assurance Plan) की आवश्यकता नहीं होगी।
15(15) भुगतान की अनुसंशा सहित बिल प्राप्त होने पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा शीघ्र प्राथमिकता पर नियमानुसार पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।	1. जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में निर्माण कार्य से सम्बन्धित भुगतान राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के उददेश्य से जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रविष्टियों का विभागीय पोर्टल एवं पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर आन लाइन अंकन जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनावार किया जायेगा। 2. JJmup.org/ jalshakti.up.gov.in के Bill Management System पर वर्तमान में प्रचलित समस्त कार्यवाही जनपद स्तर पर अधिशासी अभियन्ता स्तर तक यथावत जारी रहेगी। तत्पश्चात निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रविष्टियों का विभागीय पोर्टल एवं पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर online अंकन सम्बन्धित जनपद के जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जायेगा। 3. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित भुगतानों के बिल वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप JJmup.org/ jalshakti.up.gov.in पर अपलोड किया जायेगा। जो बिल उक्त पोर्टल पर अपलोड नहीं होंगें, उनका भुगतान नहीं किया जायेगा। 4. सम्बन्धित बिलों के परीक्षणोंपरान्त सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर Final Calculation Sheet प्राप्त कर PFMS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चत की जायेगी। 5. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के PFMS पोर्टल के Admin वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन होंगे एवं उनके द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को योजनावार धनराशि आवंटित की जायेगी। 6. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर PFMS पोर्टल के संचालन हेतु एक डाटा ऑपरेटर (DO) होंगे, जो कि सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं

स्वच्छता मिशन/अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) होंगे एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उन्हें डाटा ऑपरेटर (DO) User ID एवं Password निर्गत किया जायेगा।

7. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर PFMS पोर्टल के संचालन हेतु एक डाटा अप्रूवर (DA) होंगे, जो कि वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन होंगे एवं उनकी Digital Signature (DSC) को DA की ID में पंजीकृत किया जायेगा।

8. डाटा ऑपरेटर (DO) द्वारा जल जीवन मिशन के अर्न्तगत समस्त योजनाओं में निर्माण कार्य से सम्बन्धित भुगतान की प्रविष्टियां (Booking) जनपद स्तर पर PFMS के माध्यम से की जायेंगी।

9. प्रविष्टियों के अंकन से पूर्व जनपद स्तर पर सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भुगतान हेतु प्रविष्ट की जाने वाली धनराशि टी0पी0आई0 द्वारा अनुमोदित है। भौतिक प्रगति व दर की सत्यता का दायित्व जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

10. डाटा ऑपरेटर (DO) द्वारा किये गये भुगतान की प्रविष्टियों को डाटा अप्रूवर (DA) द्वारा DSC के माध्यम से Approve किया जायेगा।

11. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के स्तर से किये गये समस्त भुगतान की प्रविष्टियों एवं की जाने वाली कटौतियों की सत्यता एवं शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) का होगा।

12. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर Statutory deductions (TDS, GST, Labour Cess etc) का भुगतान प्रत्येक माह राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जायेगा।

13. जनपद स्तर के जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के स्तर पर कराये गये समस्त निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं भुगतान सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण न्यूनतम 2 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत क्रमशः मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा सुनिश्चित करते हुए निरीक्षण आख्या राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को एक सप्ताह

	के अन्दर उपलब्ध करायी जायेंगी। उक्त के अतिरिक्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर नामित अधिकारी द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। 14. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूपों पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर बैंक समाधान (Bank Reconciliation) सम्बन्धी कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जायेगा। 15. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत किये गये समस्त व्ययों एवं भुगतानों का संप्रेक्षण (Audit) मुख्यालय स्तर पर गठित Internal Audit Cell द्वारा कराया जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-16/2021/948/76-1-2021-25सम/2019 दिनांक 19 मार्च 2021 के प्रस्तर-15(4) एवं 15(15) को उपर्युक्त प्रस्तर-2 के अनुसार संशोधित/प्रतिस्थापित समझा जाए। उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2021 में दी गयी शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

4- अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 7/2022/430 (1) /छिहत्तर-1-2022-25सम/2019 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-4116/डब्लू-409(पी0एफ0एम0एस0) 2021-22, दिनांक 22 फरवरी, 2022 के क्रम में।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ओ.प्र.
07/3/2022
(ओम प्रकाश चौहान)
अनु सचिव